

राजस्थान सरकार

**कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह  
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड, जयपुर**

ई मेल:-mrh.sap@gmail.com

दिनांक २३.०५.२०१८

क्रमांक ४६७

**खुली निविदा सूचना ०६ / २०१८-१९**

राज्यपाल महोदय की ओर से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासित बालक-बालिकाओं के लिये निम्न सेवा के लिये मुहरबंद निविदाए आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र. सं.	NIT सं.	सेवा का विवरण	अवधि	अनुमानि त लागत	ब याना राशि	निविदा प्रपत्र विक्रिय करने की अन्तिम तिथि	भरे हुए निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	6 / 2018 - 19	आवासी बालक/ बालिकाओं के उपयोग में आने वाले वस्त्रों की धुलाई हेतु लाउण्ड्री (वस्त्र धुलाई) का ठेका	एक वर्ष	900000	18000	14.06.2018 5 PM	15.06.2018 12 PM	15.06.2018 2 PM

निविदा प्रपत्र 200/- बैंकर्स चैक/डीडी जमा करा कर कार्यालय समय में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 14.06.2018 को 5 PM तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov.in पर एवं निदेशालय विशेष योग्यजन की वेबसाइट dsap.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

नोट:- 1. एक बार जमा कराया गया निविदा शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।

2. निविदा प्रपत्र वेबसाइट sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov.in एवं निदेशालय विशेष योग्यजन की वेबसाइट dsap.rajasthan.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउन लोड करने पर निविदा प्रपत्र का भुगतान निविदाये जमा कराते न्याय डी.डी. के साथ में दिया जावें अन्यथा निविदा फार्म रद्द कर दिया जायेगा।

**मानसिक विमंदित महिला एवं  
बाल कल्याण पुनर्वास गृह**

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता नियाम, जयपुर २३.०५.१८

क्रमांक ४६८-७३

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निकेहत नं. १/२३७३ को एक राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र जिसका प्रसारण 50,000 प्रतियां या अधिक हो एवं एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित करायें।
2. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर।
4. नोटिस बोर्ड
5. कार्यालय नोटिस बोर्ड
6. सुश्री मनीषा गीना कलेखाकार को निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय विशेष योग्यजन की वेबसाइट dsap.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जाना है।

**मानसिक विमंदित महिला एवं  
बाल कल्याण पुनर्वास गृह**  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर  
कोड नं. १/२३७३

## राजस्थान सरकार

**कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह**  
**जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड, जयपुर**  
**निविदा फार्म (बोली डाटा शीट) ई मेल:—mrh.sap@gmail.com**

### निविदा फार्म

विषय :— आवासियों के वस्त्र धुलाई हेतु लाउण्डी (वस्त्र धुलाई) एवं प्रेस के कार्य के लिये निविदा।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/संस्था का नाम तथा डाक का पूरा पता

2. निविदादाता का मोबाइल नं.....
3. ई—मेल.....
4. निविदा शुल्क की राशि 200 रु अक्षरे दो सौ मात्र डीडी/बैंकर्स चैक
5. निविदा सूचना, संख्या 6 / 2018–19 दिनांक 21.05.2018 जो, कि अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जयपुर के द्वारा जारी की गई है में वर्णित समस्त शर्तों की पालना करने के लिए हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
6. वस्त्र धुलाई कार्य का जो ठेके पर दिया जाना है उसे हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, और उसी आधार पर दरें दी जा रही है।
7. कार्य आदेश प्राप्त होने के 7 दिन की अवधि में कार्य करना शुरू कर दिया जायेगा।
8. लाउण्डी (वस्त्र धुलाई) ठेका देने बाबत हमारी दर निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	कार्य का विवरण	सामान का विवरण	दर प्रति नग (समस्त करों सहित)	दर प्रति नग अधिकतम रूपये समस्त करों सहित	विवि
1.	1. लगभग 275 विमंदित महिला एवं बालकों के दैनिक उपयोग में आने वाले वस्त्र यथा नेकर, पेन्ट, महिलाओं के वस्त्र, चद्दर, तौलिये, स्वेटर, कम्बल, खेस की प्रतिदिन धुलाई। 2. समस्त वस्त्र प्रेस कर महिला विंग एवं बालक विंग में कपड़ों को पहुंचाने का कार्य।	1. शर्ट/कुर्ता 2. पेट/सलवार 3. अण्डरवियर+बनियान/समीज 4. गाउन 5. तौलिया 6. नैपकीन (छोटा तौलिया) 7. चद्दर 8. तकिया कवर 9. कम्बल/खेस 10. पर्दा 11. टोपा/मोजा 12. स्वेटर 13. दरी 14. चटाई  उपरोक्त वस्त्रों की लाउण्डी (वस्त्र धुलाई) प्रति नग, प्रति माह (समस्त करों सहित) कुल मूल्य	03.00 03.00 02.00 03.00 04.00 02.00 04.00 02.00 06.00 04.00 02.00 04.00 06.00 04.00	03.00 03.00 02.00 03.00 04.00 02.00 04.00 02.00 06.00 04.00 02.00 04.00 06.00 04.00	धुलाई कार्य प्रातः 10.00 बजे से साय 05.00 बजे तक किया जायेगा।

नोट—लाउण्डी (वस्त्र धुलाई)की दरें प्रति नग सभी करों सहित होगी। सशर्त एवं अग्रिम भुगतान की निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

9. ठेके की एक वर्ष की अवधि में कार्य संतोषजनक पाया गया तो ठेका विभाग विकल्प पर 6 माह पर उन्हीं दरों पर बढ़ाया जा सकेगा, जिसके लिए संवेदक बाध्य होगा। 6 माह की अवधि के बाद दोनों की सहमति से 6 माह की अवधि और बढ़ायी जा सकेगी।
10. बयाना-राशि (अर्नेनेस्ट मनी) रूपये.18000/- अक्षरे रूपये अठारह हजार मात्र के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या..... दिनांक ..... जमा करा दी गई है।
11. सेवा प्रदाय करने हेतु श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या .....दिनांक .....
12. वैद्यता अवधि ..... की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
13. आयकर स्थाई खाता संख्यां.....
14. जी.एस.टी. पंजीयन संख्यां ..... दिनांक .....
15. अनुभव प्रमाण पत्र .....
16. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करे)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

### **प्रतिबन्ध एवं शर्तें (वस्त्र धुलाई की निविदा)**

**टिप्पणी:-** निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाये भेजते समय इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये ।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहर बन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये ।
2. संस्था / फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओं पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा । इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा ।
3. (अ)फर्म को चिकित्सालय / मंदबुद्धि सरकारी संस्थान में वस्त्र धुलाई कार्य का दो वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी ।  
(ब)किसी प्रतिष्ठित स्वयं की संस्थान / दुकान / फर्म जिसे धुलाई / ड्राईक्लीन कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो, और जो पंजीकृत हो एवं कार्य कर रही हो ।
4. फर्म को आयकर स्थायी खाता संख्या (पेन कार्ड, श्रमविभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मय दिनांक, शॉप एक्ट के तहत जारी प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होगी ।
5. फर्म आदि के गठन को किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबंधित फर्म / संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा । संविदा के संबंध में किसी भी नये भागीदार / भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकारारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी ।
6. निविदादाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंकों एवं शब्दों दोनों में लिखी जानी चाहिये । निविदा के प्रत्येक पृष्ठ एवं कांट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है । निविदा प्रपत्र बालपेन या टंकण से भरा जावेगा ।
7. मोहर बंद निविदा प्रपत्र मय बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि 18000/- (अक्षरे अठारह हजार मात्र) दिनांक 15.06.2018 को 12:00 बजे दोपहर तक अधीक्षक मानसिक विमंदित एवं बाल पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर के कार्यालय में रखे हुये टेण्डर बाक्स में पहुंच जानी चाहिये निविदाये दिनांक 15.06.2018 को 2:00 बजे खोली जायेगी । बिना बयाना राशि जमा कराये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
8. विधि मान्यता : निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी ।
9. फर्म / ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौंपेगा या उप भाड़े (सबलैट) पर नहीं देगा ।
10. निविदादाता का / उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।
11. असफल निविदादाताओं को बयाना राशि एक माह मे (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) वापस कर दी जायेगी ।
12. करार एवं प्रतिभूति निष्केप:-
  - i सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक अनुबन्ध पत्र नियमानुसार गणना के पश्चात उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदाये स्वीकार की गई है । उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी । यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी ।
  - ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि कि लिये समायोजित किया जायेगा । प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी ।
  - iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

iv प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगे:-

(क) बैंक ड्रापट / बैंकर्स चैक।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

(ग) अत्यं बचतों को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्प्य) पर स्वीकार किया जावेगा।

V करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

Vi प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नहीं है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

11. बयाना राशि का समपहरण बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जायेगा:-

i. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें रूपान्तरण करता है।

ii. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।

iii. जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

iv. जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने में असफल रहता हो।

13. प्रतिभूति निष्केप का समपहरण: प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जावेगा :—

I जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

ii. जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

iii. प्रतिभूति निष्केप को समपहत करने के मामले में युक्त युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

14. ठेकेदार द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

15. ठेके की अवधि एक वर्ष तक मान्य होगी। लाउण्डी(वर्स्ट्र धुलाई) प्रेस एवं डाईक्लीन का कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर ठेका विभाग विकल्प पर अधिकतम 6 माह के लिये उन्हीं दरों पर बढ़ाया जा सकेगा। जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा। तत्पश्चात् परस्पर सहमति से 6 माह के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

16. ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या प्रशासन के निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो अनुबन्ध भंग करना माना जायेगा। ऐसी स्थिति में ठेका समाप्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की अनुशंसा पर अधीक्षक को होगा।

17. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रृटि पायी जाने पर निविदा पर अन्तिम निर्णय करने का अधिकार क्रय समिति के निर्णय अनुसार लिया जायेगा।

18. भुगतान—भुगतान अप्रिम नहीं किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

19. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्तें को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

20. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रदद करने या जिन कार्यों के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

21. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:—

i. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभिप्राप्ति प्रति।

- ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
- iii) एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलीफोन नंबर।
- iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
22. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंद्ह नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
23. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संरित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
24. इस कार्यालय द्वारा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
25. फर्म का औसत एक वर्ष का टर्नओवर संबंधित कार्य का न्यूनतम 10.00 लाख का होने के सनदी लेखाकार/सी.ए. का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
26. संस्था में लाउण्डी(वस्त्र धुलाई) के कार्य हेतु किसी भी दिन अवकाश नहीं रहेगा। धुलाई करने वाले कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होने चाहियें तथा पूर्ण स्वस्थ हो। धुलाई कर्मचारी प्रातः 10.00 बजे संस्था में उपस्थित होंगे एवं सायं 05.00 बजे तक कार्य करेंगे। आवश्यकता अनुसार कार्य समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है।
27. वस्त्रों की धुलाई हेतु पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला डिटर्जन्ट/साबुन/पाउडर (वाशिंग मशीन में प्रयोग आने वाली सामग्री) काम में लिया जावेगा।
28. अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
29. लाउण्डी मशीन का संचालन दक्ष व्यक्तियों द्वारा करवाना होगा एवं मशीन की मरम्मत एवं देखभाल की समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। मशीन में किसी भी प्रकार की खराबी हो जाने पर उसकी रिपयरिंग का व्यय संवेदक का होगा।
30. मशीन में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर मशीन खराब होने की 24 घंटे की अवधि में मशीन को संवेदक को स्वयं के स्तर से ठीक करना होगा। संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में मशीन ठीक नहीं करवाने पर राशि 1000/-रुपये प्रतिदिन की शास्ति संवेदक से वसूल की जायेगी। मशीनों की मरम्मत एवं देखभाल संबंधी समस्त व्यय संवेदक को वहन करने होंगे।
31. निविदा अवधि समाप्ति के दिन मशीन को चालू हालत में वापस प्रभारी लाउण्डी को संभलवानी होगी अन्यथा मशीन के मरम्मत कार्य पर होने वाला समस्त व्यय संवेदक से वसूल किया जायेगा एवं प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
32. मशीन के चालू नहीं रहने पर वस्त्रों की धुलाई की व्यवस्था संवेदक को स्वयं के खर्च पर करनी होगी तथा निर्धारित समयावधि में धुले हुए वस्त्र उपलब्ध कराने होंगे। निर्धारित अवधि में धुले हुए वस्त्र उपलब्ध नहीं कराने पर 5/-रुपये प्रति कपड़े की शास्ति लगाई जायेगी।
33. संवेदक द्वारा लगाये गये किसी भी कर्मचारी/कर्मचारियों द्वारा कार्यालय की राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो सम्पत्ति की वास्तविक राशि से दुगनी राशि की वसूली संवेदक के द्वारा प्रस्तुत बिल में से काटने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक को होगा।
34. संवेदक द्वारा लगाये गये कर्मचारी की किसी भी कारण अथवा कार्य के समय के उपरान्त दुर्घटनाग्रस्त होने पर शारीरिक क्षति अथवा मृत्यु हो जाने की स्थिति में क्षतिपूर्ति देने की समस्त जिम्मेदारी/दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिए सरकार व कार्यालय की कोई जिम्मेदार/मददगार नहीं होगा।
35. संस्था की लाउण्डी मशीन चलाने हेतु पानी एवं बिजली की व्यवस्था निशुल्क की जायेगी परन्तु किसी कारणवश संस्था से इनकी आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो इनकी व्यवस्था संवेदक को स्वयं के स्तर पर और स्वयं के खर्च पर 24 घंटे के अन्दर करनी होगी जिसका पृथक से कोई भुगतान संवेदक को नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि में वस्त्र धुलाई की व्यवस्था नहीं करने पर प्रतिदिन 500/-रुपये की शास्ति लगाई जायेगी।
36. वस्त्र धुलाई हेतु बिजली/पानी के अतिरिक्त अन्य सामग्री के व्यय का भार संवेदक को करना होगा।

1. संवेदक द्वारा वस्त्रों को भली-भॉति धुलाई व साफ-सुधरे एवं प्रेस करके 24 घंटे में आवश्यक रूप से लौटाने होगे। निर्धारित समय पर कपड़े नहीं लौटाने पर प्रथम शिकायत पर 500/- द्वितीय शिकायत पर 1000/- तृतीय शिकायत पर 1500/- रुपये की दर से शास्ति लगाई जायेगी।
38. धुलाई सामग्री प्रतिष्ठित कम्पनी/मार्का की काम में लेनी होगी तथा काम में ली जाने वाली सामग्री की कम्पनी/मार्का की सूची निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। सूची पर निविदादाता के हस्ताक्षर नाम पता एवं मोहर एवं मोबाईल नम्बर होना आवश्यक है।
39. मल-मूत्र एवं शारीरिक अपद्रव्यों से सने वस्त्रों/बैडशीट्स की पृथक-पृथक धुलाई की जायेगी।
40. वस्त्रों को धोने के लिए उत्तम क्वालिटी की आवश्यक धुलाई सामग्री का समुचित मात्रा में उपयोग करना होगा।
41. धुलाई के लिए ले जाने वाले सभी वस्त्रों जिन पर दाग-धब्बे/मल-मूत्र लगे हो उन्हें पूरी तरह साफ कर, भली-भॉति धुलाई कर साफ-सुधरे एवं प्रेस कर लौटाने होंगे। दाग-धब्बे/मल-मूत्र लगे होने पर अथवा साफ नहीं होने पर 10/- रुपये प्रति गंदे कपड़े की दर से शास्ति लगाई जायेगी।
42. केयर टेकर द्वारा धुलाई हेतु वस्त्र निर्णय कर दिये जायेंगे एवं निर्णय कर लौटाने होंगे। जिसका केयर-टेकर/नर्सिंग कर्मी द्वारा पृथक से पंजिका संधारण की जायेगी। यदि गणना में कमी पाई जाती है अथवा कपड़े/बैडशीट गुम होने/फाल दिये जाने की स्थिति में उन कपड़ों/बैडशीट को क्य मूल्य की दर से कपड़े/बैडशीट की राशि संवेदक से वसूल की जायेगी।
43. भुगतान करते समय फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल से नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।
44. फर्म द्वारा आदेशानुसार कपड़े नहीं धोने पर अन्यत्र धुलवाये जायेंगे। इस हेतु जो भी राशि व्यय होगी संवेदक के बिल/प्रतिभूति राशि से वसूल की जायेगी।
45. संवेदक को वस्त्र धुलाई के नमूने के रूप में धुलाई किये जाने वाले प्रत्येक आईटम के सैम्प्ल के अनुसार ही वस्त्र धुलाई करनी होगी।
46. श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधान के तहत किसी भी प्रकार का लाईसेन्स/अनुमति पत्र/आवश्यक दस्तावेज लेना आवश्यक हो तो संवेदक स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।
47. निविदादाता को बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक को होगा।
48. धुलाई हेतु दिये गये वस्त्र डिलीवरी के समय से 24 घन्टे में धोकर, सुखाकर एवं प्रेस कर उपलब्ध करवाने होंगे। निर्धारित समय के बिलम्ब पर नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति देय होगी:-
49. आवासियों के गंदे कपड़े लाने का कार्य फर्म के कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। गंदे कपड़े न लाने की स्थिति में प्रतिदिन 200/- रु. की कटौती की जायेगी। (अतिआवश्यक)
50. वस्त्र धुलाई की व्यवस्था के लिये अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर द्वारा दिये गये समस्त आदेशों की पालना ठेकेदार को करनी होगी। तथा बिना किसी विवाद के ठेकेदार को कार्य करना होगा।
51. कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत कटौती किया जाना एवं राज्य सरकार द्वारा मान्य न्यूनतम मजदूरी/पी.एफ. /ई.एस.आई. व अन्य प्रकार की कटौतियों को कर्मचारी पर लागू करना एवं इस प्रकार की राशि को जमा कराने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा तथा आवश्यकता होने पर/मांग अनुसार चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
52. ठेकेदार के पास नियुक्ति से पूर्व वस्त्र धुलाई एवं प्रेस करने वाले कर्मचारियों के निवास/स्थायी पते का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा एवं अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र फोटो सहित उपलब्ध कराना होगा। बिना पहचान पत्र विमंदित गृह में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
53. संस्था के प्रभारी/उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर 500 रु की कटौती भी की जायेगी।
54. संवेदक/फर्म केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं उनके उपक्रमों द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिये।
- उपरोक्त वस्त्र धुलाई कार्य संबंधी शर्तें, मैने/हमने पढ़ ली हैं, और यह शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

## राजस्थान सरकार

परिशिष्ट "अ"

### घोषणा पत्र

मैं/ हम यह घोषणा करते हैं कि मैं/ हम धुलाई संबंधी कार्य करते हैं। हमने निविदा शर्तों के विरुद्ध कोई शर्त नहीं लगाई हैं अगर कही अंकित कर दी गई है तो वह वापसी ली हुई मानी जाती हैं/ मानी जावेगी।

यह है कि यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा। और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई है तो उसे निरस्त कर अमानत राशि (सिक्यूरिटी) जब्त कर सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
नाम व पता